बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

कार्यालय हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर

संशोधित अल्पकालीन निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर के पशुओं को खिलाने चारा (1) गेहूँ भूंसा (2) नेवारी कुट्टी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये क्रय करने हेतु मोहर बन्द संशोधित अल्पकालीन निविदा प्रकाशन के सात दिनों के भीतर 05:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को अगले दिन 11:00 बजे पूर्वाहन में स्थानीय क्रय समिति द्वारा प्रबंधक कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जायेगी निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

1. अग्रधन के रूप में 1000 (एक हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव के पदनाम से भुगतेय होगा।
2. निविदा के साथ पारदर्शी थैले में 200 ग्राम मुहर बन्द नमूना देना होगा, जिसके निविदादाता का नाम, पता एवं तिथि अंकित होनी चाहिए।
3. माल की आपूर्ति प्रक्षेत्र के गोदाम तक पहुँचाकर करना होगा तथा माल की तौलाई एवं उठाई का खर्च आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।
4. निविदा में सभी कर सन्निहित होना चाहिए।
5. माल नमूने के अनुसार नहीं होने पर माल की आपूर्ति नही ली जायेगी। माल स्वीकृत दर से कम दर पर लेने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने पर चयनित निविदादाता को सूचना दी जायेगी। सूचना के आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर माल की आपूर्ति कर देनी होगी।
7. निविदादाता को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय के बाद निविदा नहीं ली जायेगी।

8. नये वित्तीय नियमावली के अनुसार विपत्र की राशि में से जो भी कर होगा उसे काटकर ही भुगतान किया जायेगा।

9. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दो भाग में अलग–अलग लिफाफे में ली जायेगी। तकनिकी भाग में निविदा की योग्यता से संबंधित अभिलेख होंगे एवं वित्तीय भाग में दर का विवरण। केवल उसी निविदाओं के वित्तीय भाग को खोला जायेगा जो तकनिकी रूप से योग्य पायी जायेगी।

10. संवेदक का निबंधन, आपूर्ति हेतु निबंधन विभाग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला स्तर द्वारा होना आवश्यक है।

11. निविदा के साथ आयकर रिटर्न पिछले वर्ष का देना आवश्यक होगा।

12. निविदादाता को GST के तहत निबंधन एवं अध्यतन देयता संबंधित स्वच्छता प्रमाण पत्र देना होगा।

13. निविदादाता को किसी भी फौजदारी मोकदमा में संलिप्त अथवा सजायाफता एवं काली सूचि में दर्ज नहीं रहने से संबंधित एक एफेडेबिट नोटरी द्वारा देना होगा।

14. निविदादाता को निविदि के साथ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।

15. आपूर्ति के बाद भुगतान हेतु दो प्रति में विपत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निविदा को रद्द अथवा स्थगित करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रहेगा।

17. निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

उक्त जानकारी एवं शर्तों के लिए वेबसाईट ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

29.5.18

प्रबंधक,

हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,

डुमराँव, बक्सर।